

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
बड़कोट

पत्रांक 1399/4 श.स.

दिनांक 25/09/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट।

विषय: - जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 9.50कि०मी०) हेतु 4.284है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/18078/2016)

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 630/12-1 दिनांक बड़कोट, दिनांक 02.09.2019 और भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के फाईल सं०-8 बी /यू.सी. पी/06/06/2019/एफ.सी/1116, दिनांक 16.08.2019,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के फाईल सं०-8 बी /यू.सी. पी/06/06/2019/एफ.सी/1116, दिनांक 16.08.2019, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 5 बिन्दुओं का विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव में लगाई गई है। लगाई गई आपत्तियों निम्नलिखित वार निराकरण किया गया है।

क्र०स	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no. 11 of EDS, it is mentioned that two alignment were examined for the construction of the road in Question. In the alternate alignment, there was possibility of 1100 number of trees to be affected instead of 940 trees in the proposed alignment which will involve less numbers of trees to be affected. State Government may submit the details of the proposed alignment and the alternate alignment examined in a comparative chart form showing various parameters evaluated for rejection of alignment. A certificate of DFO may also be Submitted in this regard.	प्रस्तावित संरेखण व एल्टरनेट संरेखण का तुलनात्मक विवरण तैयार कर यथास्थान Additional Information में अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक (5-प्रतियों में)
2	In reply to point no. 12, aerial distance Certificates is still not found uploaded, state government may upload aerial distance certificate online as an additional document.	aerial distance Certificates यथास्थान Additional Information में पुनः अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point no. 13 of EDS, it is mentioned that total 940 trees are present in the RF land (217 trees) and Civil Land	डी०एफ०ओ० कार्यालय बड़कोट के स्तर से किया जाना है।

माननीय अधिकारी
कृ० कार्यालय के
25/9/2019

	(723 trees) hence the density of 0.4 is correct, but 219 trees/ha does not account of 0.4 density therefore the state Government may review the density and submit/upload a certificate of DFO in this regard.	
4	In reply to point no. 14 of EDS, the Nodal Officer has mentioned that the action is to be taken by the CF. Yamuna circle has mentioned in his letter dated 04-06-2019 placed at page no 198/c that the site for Oak ANR has been identified in Kimdara compitt No. 10(A) under Kuthnaur Range by DFO, Upper Yamuna forest Division and the estimate has been uploaded at S No. 1 of Additional Documents in online Part-11. Here this is to be stated that the state Govt has Submitted the C.A Scheme Covering an area of 8.568 ha. In civil soyam land for Rs. 23,87,602/ (page no. 139 142/c) and another ANR scheme covering an area of 20.00 ha for Rs. 23,35,400/- which does not appear to be logical. ANR हेतु पृथक से प्रस्ताव किस नियम के तहत किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण में अपनी स्पष्ट टीम प्रस्तुत करें।	वन संरक्षक कार्यालय देहरादून के स्तर से किया जाना है।
5	प्रस्ताव में यह पाया गया है कि Alternative मार्ग का परीक्षण उचित प्रकार से नहीं किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के समानान्तर एक और लाईन डाल कर मात्र खानापूर्ति की गई है। अतः राज्य सरकार इस प्रकरण में अपनी स्पष्ट टीम प्रस्तुत करें।	मार्ग निर्माण हेतु पूर्व में दो समरेखण किये गये हैं, Alternative समरेखण अन्य जगहों से भी किया गया परन्तु उचित समरेखण नहीं प्राप्त हो पाया अन्य जगह सरनौल से किये जाने पर मार्ग में हलैटी नामें तोक में 125 स्पान का व बडियार खड्ड में भी 120 मी० स्पान पुल का निर्माण किये जानें पर ही सम्मस्त आठ ग्रामवासी लाभान्वित होंगे तथा इस समरेखण में भी बाँज व देवदार के वृक्षों का पातन चुनें गये प्रस्तावित समरेखण से भी अधिक आने की पूर्ण सम्भावना है। Alternative समरेखण वृक्षों के पातन की कम सम्भावना को मध्यनजर रखकर किया गया है। Alternative समरेखण मार्ग में लगभग 1080 वृक्षों के पातन होने की सम्भावना है, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य ऐसा समरेखण नहीं है जिसमें इस से कम वृक्ष आने सम्भावित हों। कोई अन्य उचित वैकल्पिक समरेखण न होने के प्रमाण पत्र संलग्न कर पूर्व में प्रेषित किया गया है।

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट

तददिनांक

पत्रांक

प्रतिलिपि:-

वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ ।

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट